राजस्थान विश्वविद्यालय
University of Rajasthan

क्रमांकः—एफ—9/सा.प्र./179/2020/ दिनांकः

कार्यालय – आदेश

शासन सचिव गृह (ग्रुप—9) विभाग राजस्थान सरकार से प्राप्त पत्र क्रमांक प.33 (2)गृह—9/2019 दिनांक 19.03.2020 द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण से आम जन को सुरक्षा प्रदान करने तथा उनके स्वास्थ्य की रक्षा को दृष्टिगत रखते हुए विश्वविद्यालय में आंशिक **शट—डाउन** दिनांक 31.03.2020 तक रहेगा।

इस संबंध में निम्न निर्देश तत्काल प्रभाव से जारी किये जाते हैः—

1. समस्त विभागाध्यक्ष/निदेशक/संघटक महाविद्यालयों के प्राचार्य एवं उप प्राचार्य/मुख्य आवासाधिकारी व समस्त आवासाधिकारी/उप कुलसचिव/वित्त नियंत्रक एवं वित्तीय सलाहकार/केन्द्रीय पुस्तकालय को निर्देशित कर लेख है कि अपने अधिन कार्यरत अशैक्षणिक वर्ग के 50 प्रतिशत कार्मिको को रोटेशन के आधर पर कार्यालय में उपस्थित होने बाबत् अपने स्तर पर आज ही आदेश जारी करना सुनिश्चित करें। जो कार्मिक घर पर रहेगें वे Work From Home सुनिश्चित करेगें एवं ऑनलाइन Available रहेगें।

   रोटेशन कार्यालय में उपस्थित होने वाले कार्मिकों पर निम्नानुसार लागू होगा।
   - सोमवार/बुधवार/शुक्रवार – 50% स्टाफ
   - मंगलवार/गुरूवार/शनिवार – 50% स्टाफ

2. आवश्यक सेवाओं से संबंधित निम्न विभागों पर **शट—डाउन** लागू नही होगा।
   - कुलपति कार्यालय
   - कुलसचिव कार्यालय
   - विश्वविद्यालय अभियंता कार्यालय
   - सामान्य प्रशासन अनुभाग
   - स्वास्थ्य केन्द्र (एलोपेथिक, होम्योपेथिक, आर्युवैदिक)
   - इन्फोनेट सेन्टर
   - विश्वविद्यालय अतिथि गृह
   - कम्प्यूटर सेन्टर
3. यह आदेश विश्वविद्यालय एवं संघटक महाविद्यालय के अनुभागाधिकारी, सहायक कुलसचिव, उप कुलसचिव एवं इससे उच्च स्तर के अधिकारियों पर लागू नही होगा।

4. आवश्यकता पडने पर किसी भी कार्मिक को कार्यालय में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया जा सकता है।

5. इस दौरान किसी प्रकार का अवकाश एवं मुख्यालय छाडने की अनुमति साधारणतयाः नही दी जाएगी। यह फिर स्पष्ट किया जाता है कि इन आदेशों का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों एवं उनके परिवारजन को सुरक्षित रखना है। अतः वे अनावश्यक घूमने—फिरने पर बंदिश रखें जिससे वे बाहर के व्यक्तियों से कम से कम सम्पर्क में आयें।

Scanned by CamScanner

6. इस अवधि में कोरोना से संबंधित एवं माननीय कुलपति महोदय के स्तर पर बैठकों के अलावा, बिना अति आवश्यक कारणों के अन्य विश्वविद्यालय की सभी बैठकें स्थगित रहेगी। बैठकों के विकल्प में आवश्यक कार्यो को Video Conference / दूरभाष के माध्यम से सम्पादित किया जाये।

7. शिक्षकों हेतु आदेश प्रथक से जारी किये जा रहे है।

-sd-

(हरफूल सिंह यादव)
कुलसचिव

क्रमांक : एफ–9/सा.प्र./179/2020/ 14043-143 दिनांक : 20/03/2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है:–

1. विभागाध्यक्ष/निदेशक/प्रभारी अधिकारी/समस्त शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक इकाईयाँ, रा.वि.वि.,जयपुर।
2. प्राचार्य,महाराजा महाविद्यालय/महारानी महाविद्यालय/कॉमर्स महाविद्यालय/राजस्थान महाविद्यालय/विधि महाविद्यालय (प्रातः एवं सायं), रा.वि.वि.,जयपुर
3. निदेशक,इन्फोनेट सेन्टर, रा.वि.वि.,जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त परिपत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करवाने का श्रम करें।
4. मुख्य कुलानुशासक/मुख्य आवासाधिकारी/आवासाधिकारी रा.वि.वि.,जयपुर।
5. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, रा.वि.वि.,जयपुर।
6. वित्त नियन्त्रक व वित्तीय सलाहकार/परीक्षा नियन्त्रक, रा.वि.वि.,जयपुर।
7. समस्त चिकित्सा अधिकारी,स्वास्थ्य केन्द्र, रा.वि.वि.,जयपुर।
8. निजी सचिव, कुलपति/कुलसचिव, समस्त उप–कुलसचिव/सहायक कुलसचिव/अनुभागाधिकारी ,रा.वि.वि.,जयपुर।
9. प्रभारी अधिकारी, विश्वविद्यालय उद्यान कार्यालय/विश्वविद्यालय प्रेस, रा.वि.वि.,जयपुर।
10. विश्वविद्यालय अभियन्ता, रा.वि.वि.,जयपुर।
11. जनसम्पर्क अधिकारी, रा.वि.वि.,जयपुर।
12. अध्यक्ष, शिक्षक कर्मचारी संघ (रूटा), रा.वि.वि.,जयपुर।
13. अध्यक्ष, छात्रसंघ कार्यालय, रा.वि.वि.,जयपुर।
14. रक्षित पजिका।

(डॉ. एम.सी.गुप्ता)
उप कुलसचिव (सा.प्र.)

Scanned by CamScanner